



अखिल राजस्थान उच्च शिक्षा मंत्रालयिक कर्मचारी संघ (अरुस्मा)

(EMAIL ID : arusma2025@gmail.com)

प्रधान कार्यालय: SKIT कॉलेज के पास, रामनगरिया, जगतपुरा, जयपुर



क्रमांक: ARUSMA / प्रदेश / राज. / 2025 / 281-285

दिनांक:- 28.01.2026

माननीय मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

माननीया उपमुख्यमंत्री/वित्तमंत्री महोदया,
वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

श्रीमान् मुख्य सचिव,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

श्रीमान् शासन सचिव,
वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय:- नवनियुक्त परिवीक्षाधीन कार्मिकों को 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल में देय नियत पारिश्रमिक (फिक्स-पे) के स्थान पर नियमित कर्मचारियों के समान पूर्ण वेतन एवं भत्ते दिए जाने बाबत।

मान्यवर,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संघ आपका ध्यान राजकीय सेवा में नवनियुक्त कार्मिकों से संबंधित अत्यंत गंभीर विषय पर ध्यान आकर्षित करना चाहता है कि- राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में नवनियुक्त कार्मिकों को राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम- 2017 के अनुसार 02 वर्ष का परिवीक्षाकाल पूर्ण करना आवश्यक है। ऐसे नवनियुक्त कार्मिकों को 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल में नियत पारिश्रमिक (फिक्स-पे) की देयता का प्रावधान लागू किया गया है। इसी क्रम में निम्नानुसार हैं कि-

1. नवनियुक्त कार्मिकों की मूलभूत समस्या -

- राजकीय सेवा में नवनियुक्त कर्मचारियों को 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल (प्रोबेशन पीरियड) के दौरान नियत पारिश्रमिक (फिक्स-रेमुनरेशन/पे) प्रदान किया जाता है। जो कि पूर्ण वेतन (पे मैट्रिक्स लेवल के न्यूनतम सैल सहित महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता एवं अन्य आदि देय) से बहुत कम है। इससे नवनियुक्त कर्मचारियों को गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जबकि उनके द्वारा नियमित कर्मचारियों के समान ही अपने पद के अनुसार पूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया जाता है।

2. वर्तमान में लागू प्रावधान का आधार -

- वर्तमान में राजकीय सेवा में नवनियुक्त कर्मचारियों को 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल (प्रोबेशन पीरियड) के दौरान नियत पारिश्रमिक (फिक्स-रेमुनरेशन/पे) प्रदान किए जाने का प्रावधान वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर, की अधिसूचना क्रमांक- F. 15(1)FD/Rules/2017 दिनांक- 30.10.2017 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम- 2017 की प्रभावी दिनांक- 01.10.2017 के नियम- 16 के तहत अनुसूची-IV के अनुसार लागू है।

3. अनुसूची-4 में उल्लेखित मानदेय दरों में हुए संशोधन -

- राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम- 2017 के प्रभावी दिनांक- 01.10.2017 के उपरांत नवनियुक्त कर्मचारियों को 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल (प्रोबेशन पीरियड) के दौरान नियत पारिश्रमिक (फिक्स-रेमुनरेशन/पे) प्रदान किए जाने के लिए लागू नियम- 16 के तहत अनुसूची- IV में निर्धारित नियत मानदेय दरों में महंगाई दरों में उत्तरोत्तर अभिवृद्धि होने के उपरांत भी किसी भी प्रकार का कोई उन्नयन/संशोधन नहीं किया गया है।

4. वर्तमान में लंबित न्यायिक वाद –

– माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्तमान में गोपाल कुमावत एवं अन्य बनाम राजस्थान सरकार (DB Writ 2963/2007, निर्णय– 2015) का एक महत्वपूर्ण मामला रहा है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच (DB) ने फिक्सड रेमुनेरेशन/पे नीति को असंवैधानिक घोषित किया।

– माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक– F. 12(6)FD(Rules)/05 दिनांक– 13 मार्च 2006 की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। जिसके क्रम में माननीय उच्च न्यायालय ने पाया कि परिवीक्षाकाल में कर्मचारी नियमित कर्मचारियों के समान ही कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, तदनुसार वेतन में भेदभाव संविधान के अनुच्छेद–14 (कानून के समक्ष समानता), अनुच्छेद–16 (सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता), अनुच्छेद–21 (जीवन जीने का अधिकार), अनुच्छेद–23 (बेगार की मनाही) और अनुच्छेद–38 (कल्याण की कमी और असमानताओं की कमी) का उल्लंघन माना गया।

– फिक्सड पे को न्यूनतम मजदूरी से कम और शोषणकारी माना गया तथा राज्य सरकार को आदर्श नियोक्ता के रूप में कर्मचारियों का शोषण नहीं करने का निर्देश दिया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने वित्त विभाग, राजस्थान सरकार की 13.03.2006 की अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया और याचिकाकर्ता को परिवीक्षाकाल में पूर्ण वेतन, भत्ते और वृद्धियों का भुगतान करने का आदेश दिया।

– तत्कालीन राज्य सरकार ने उक्त फैसले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत एवं अन्य, स्पेशल लीव पिटीशन (सिविल) संख्या 25565/2015 Diary No.- 28860/2015 दायर की। वर्तमान में यह मामला लंबित है एवं अंतिम सुनवाई 10 दिसंबर, 2025 को हुई।

– अपील के दौरान माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले पर कोई स्पष्ट स्थगन (स्टे) का उल्लेख नहीं है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा फिक्सड पे नीति को अनवरत जारी रखा गया है जिससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है।

– अन्य संबंधित मामले जैसे वीरा बनाम राजस्थान राज्य (2022) और विजेन्द्र पाल यादव बनाम राजस्थान राज्य (2022) में भी फिक्सड पे और परिवीक्षाकाल से जुड़े मुद्दों पर विचार किया गया। लेकिन गोपाल कुमावत वाद इस विषय का मुख्य आधार है।

– उक्त समस्त न्यायिक निर्णयों में ‘समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत’ का उल्लंघन माना गया है एवं कर्मिकों को पूर्ण वेतन का हकदार ठहराया गया है।

5. वित्त विभाग के द्वारा पूर्व में नियत मानदेय में अभिवृद्धि –

– परिवीक्षाकाल में नियत पारिश्रमिक दिए जाने के प्रावधान के लागू होने के उपरांत 6TH वेतनमान आयोग की अवधि में भी वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक– F. 14(1)FD/Rules/2014 Pt. दिनांक– 24/12/2014 एवं वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक– F. 14(1)FD/Rules/2013 Pt. दिनांक– 08/06/2015 के द्वारा मंहगाई की दरों में उत्तरोत्तर अभिवृद्धि होने के क्रम में फिक्सड पे में भी 02 बार वृद्धि की गई।

6. अन्य विभिन्न न्यायिक वाद में हुए निर्णय –

– माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम जगजीत सिंह एवं अन्य (2017, 1 SCC 148), माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, अमरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य 2021 (CWP

No. -14006/2020) एवं माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम राजेश कुमार (2017) वाद में भी परिवीक्षाकाल में फिक्स पे को शोषणकारी प्रक्रिया मानते हुए समान कार्य समान वेतन के सिद्धांत का उल्लंघन मानते हुए असंवैधानिक घोषित किया जा चुका है।

7. संघ की माँग –

– परिवीक्षाकाल में परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान ‘समान कार्य समान वेतन के सिद्धांत’ एवं ‘समानता के सिद्धांत’ के क्रम में पूर्ण वेतन प्रदान किया जाए। पूर्ण वेतन प्रदान करने से न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा बल्कि राज्य सरकार की सेवा में गुणवत्ता एवं समर्पण भी सुनिश्चित होने के साथ ही राज्य की सकल उत्पादकता में भी सकारात्मक वृद्धि किए जाने में बहुत हद तक कारगर सिद्ध होगा।

– राजकीय सेवा में नियुक्ति के प्राथमिक कार्यकाल, परिवीक्षाकाल में पूर्ण वेतन के स्थान पर फिक्स पे के आधार पर वेतन प्रदान किए जाने का प्रावधान कार्मिक का वित्तीय उन्नयन के स्थान पर सामाजिक, आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक रूप से सर्वांगीण विकास में बाधक होने के साथ ही अवरोधात्मक प्रक्रिया के रूप में प्रदर्शित होता है।

– माननीय सर्वोच्च न्यायालय में तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा दायर अपील राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत एवं अन्य, स्पेशल लीव पिटीशन (सिविल) संख्या 25565/2015 Diary No.- 28860/2015 में कार्मिक हित में सकारात्मक पैरवी करवाए जाने एवं उक्त न्यायिक वाद को यथाशीघ्र समाप्त करवाकर परिवीक्षाकाल में पूर्ण वेतन दिए जाने के प्रावधान को लागू किया जाए।

– वर्तमान में राजकीय सेवा में नवनियुक्त कर्मचारियों को 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल (प्रोबेशन पीरियड) के दौरान नियत पारिश्रमिक (फिक्स-रेमुनेरेशन) प्रदान किए जाने का प्रावधान वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर, की अधिसूचना क्रमांक- F. 15(1)FD/Rules/2017 दिनांक- 30.10.2017 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम- 2017 के प्रभावी दिनांक- 01.10.2017 के नियम- 16 के तहत अनुसूची-4 में लागू होने के लगभग 08 वर्षों में महंगाई की दरों में हुई वृद्धि के अनुरूप उक्त लागू अधिसूचना में उल्लेखित फिक्स पे की दरों में भी नियमानुसार आवश्यक अभिवृद्धि की जाए।

अतः आपसे अनुरोध है कि कार्मिक हित को ध्यान में रखते हुए नवनियुक्त राजकीय कर्मचारियों को राजकीय सेवा के 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल में फिक्स पे के स्थान पर पूर्ण वेतन (पे-मैट्रिक्स लेवल के अनुसार नियमित कर्मचारियों के समान देय पूर्ण भत्तों सहित) प्रदान करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करवाकर कर्मचारी हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाए।

संघ को आशा है कि- आप इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्मिक हित में अतिशीघ्र नियमानुसार आवश्यक सकारात्मक कार्रवाई करेंगे।

आपकी सकारात्मक कार्रवाई की प्रतीक्षा में।

दिनांक:- 28.01.2026

भवदीय


(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
प्रदेशाध्यक्ष, ARUSMA